

कार्यालय प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर
 OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER
 CENTRAL GOODS AND SERVICE TAX COMMISSIONERATE, JAIPUR
 नव केंद्रीय राजस्व भवन, सी- स्कीम, स्टैचू सर्किल, जयपुर
 NEW CENTRAL REVENUE BUILDING, C-SCHEME, STATUE CIRCLE, JAIPUR
 (सतर्कता शाखा/ Vigilance Branch)

कार्यालय आदेश

कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 4 (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों तथा कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग) द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन फा.सं. F. No. 11013/2/2014-Estt (A-III) दिनांक 16-07-2015 के दिशानिर्देशों की अनुपालना में, दिनांक 10.05.2024 के आदेश द्वारा गठित की गई आंतरिक शिकायत समिति में आंशिक परिवर्तन करते हुए निम्नलिखित सदस्यों को नामित किया जाता है:

क्र. सं.	अधिकारी का नाम श्री/सुश्री/श्रीमती	पद नाम व तैनाती का स्थान	फोन नं. एवं मेल आईडी	समिति का गठन
1	सुश्री रेणु दहिया	सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-E, जयपुर	फोन नं: 9729153193 ई-मेल आईडी: renudahiya.92@gov.in	अध्यक्ष
2	डा. मृदुल भसीन मुस्कान	45, हथरोई जयपुर-302001	फोन नं 9414064960 ई-मेल आईडी: mridul_b50@rediffmail.com	सदस्य (धारा 4 (2) C के अंतर्गत)
3	श्रीमती नीता शुक्ला	वरिष्ठ हिंदी अनुवादक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर	फोन नं: 7737058194 ई-मेल आईडी: neetas.g100601@gov.in	सदस्य
4	श्री जीवन राम ढाका	सहायक आयुक्त (A.E.), केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर	फोन नं: 9414779003 ई-मेल आईडी: jeewanrd.g108901@gov.in	सदस्य
5	श्रीमती प्रिया गुप्ता	अधीक्षक, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग-I, जयपुर	फोन नं: 8949927787 ई-मेल आईडी: priyag.g100901@gov.in	सदस्य

2 . केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर में कार्यस्थल पर किसी भी महिला द्वारा लैंगिक उत्पीड़न की शिकायत, आंतरिक शिकायत समिति के समक्ष की जा सकती है | उक्त समिति परिवाद की जाँच तथा आवश्यक कार्यवाही अधिनियम के अध्याय 4 तथा 5 के प्रावधानों के तहत करेगी |

3 . आंतरिक शिकायत समिति की अध्यक्ष तथा सदस्य समिति के गठन की दिनांक से 1 वर्ष तक पद धारित करेंगे |

4 . गैर सरकारी सदस्य (क्रम सं. 2) को आंतरिक शिकायत समिति की कार्यवाही करने के लिए महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) नियम, 2013 के नियम 3 के तहत फीस

तथा भत्ते देय होंगे।

5. उक्त अधिनियम की धारा 21 के तहत समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रधान आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर को दिनांक 31.01.2025 को प्रस्तुत करेगी।

6. कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से व्यथित कोई भी महिला अपनी शिकायत ऑनलाइन शिकायत तंत्र 'SHe Box' (<http://www.shebox.nic.in/>) पर भी दर्ज करा सकती है।

Signed by

BANKMAR AN

(चितन कुमार जैन)
Date: 06-06-2024 12:49
प्रधान आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित है :

1. अपर आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर, जयपुर जोन, जयपुर।
2. आयुक्त / आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, अलवर / उदयपुर / जोधपुर।
3. आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय (अपील्स), जयपुर / जोधपुर।
4. आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय (अंकेक्षण), जयपुर / जोधपुर।
5. आयुक्त, सीमा शुल्क आयुक्तालय, जोधपुर (मुख्यालय- जयपुर)।
6. उप/ सहायक आयुक्त, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर संभाग- A/B/C/D/E/F/G/H/I- जयपुर एवं J/K- अजमेर।
7. अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को व्यक्तिगत प्रति।
8. मुख्य लेखाधिकारी/ प्रशासनिक अधिकारी (Hqrs./ DDO)।
9. समस्त शाखा प्रभारी, केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर आयुक्तालय, जयपुर (मुख्या./ सेवोत्तम/ कर-अपवंचना/ तकनीकी/ डी.जी.ए.आर.एम./ विधि/ पुनरावलोकन/ न्यायनिर्णय/ वसूली/ सिस्टम/ सेरा-ऑडिट/ प्रशिक्षण/ सी.आर.यु./ राजभाषा/ सी.सी.यु.)।
10. अधीक्षक (सिस्टम), विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. सूचना पट्ट।

प्रधान आयुक्त